SAMPURNANAND
SANSKRIT UNIVERSITY
VARANASI-221002

POLICY FOR GRIEVANCE REDRESS MECHANISM OF SCHOLARS

(यू.जी.सी. रेगुलेशन २०२३ के अनुरूप छात्र शिकायत निवारण नियमावली)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : छा॰क॰सं॰ 1257/2025 दिनांक : 11 जून, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय परिसर में पंजिकृत छात्रों के प्रवेश, छात्रावास, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के निराकरण हेतु छात्र समस्या निवारण समिति का पुनर्गठन अधोलिखित रूप में किया जाता है -

1. प्रो. शैलेश कुमार मिश्र, छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष - अध्यक्ष
2. प्रो. सुधाकर मिश्र, परीक्षा नियंत्रक - सदस्य
3. प्रो. दिनेश कुमार गर्ग, विनयाधिकारी - सदस्य
4. प्रो. विद्या कुमारी चन्द्रा - सदस्य
5. डॉ. विजय कुमार शर्मा - सदस्य
6. डॉ. दुर्गेश पाठक - सदस्य
7. श्री सुनील कुमार चौधरी - सदस्य/संयोजक
8. श्री मुन्ना दूबे, शोध छात्र - सदस्य

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

11/6/2025

(राकेश कुमार)
आई॰ए॰एस॰
कुलसचिव

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. समिति के समस्त महानुभाव।
4. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
5. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
6. अधीक्षक, प्रशासन।
7. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
8. सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)
आई॰ए॰एस॰
कुलसचिव

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यवृत्त

समिति ने शिकायत निवारण समिति की नियमावली के विषय में यू.जी.सी. रेगुलेशन 2023 के प्रावधानों के अनुरूप अधोलिखित संस्तुतियों को प्रदान की।

यू.जी.सी. रेगुलेशन 2023 के अनुरूप छात्र शिकायत निवारण नियमावली

उद्देश्य – इस नियमावली का उद्देश्य विश्वविद्यालय के पंजीकृत छात्र तथा प्रवेश के इच्छुक छात्रों की शिकायतों के निवारण हेतु व्यवस्था एवं अवसर उपलब्ध कराना ।

परिभाषा –

(क) 'पीड़ित छात्र' का तात्पर्य ऐसे छात्र से होगा जिसका सम्बन्ध 'परिभाषित शिकायत' के अन्तर्गत किसी शिकायत से होगा।

(ख) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य 'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय' होगा।

(ग) 'आयोग' का तात्पर्य यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होगा।

(घ) 'घोषित प्रवेश नीति' का ताप्पर्य ऐसी नीति से होगा जो विश्वविद्यालय की निदर्शिका में उल्लिखित किसी पाठ्यक्रम का कार्यक्रम में प्रवेश के लिये निर्धारित की गयी हो।

(ड़) 'शिकायत' का तात्पर्य ऐसी शिकायत से होगा जो छात्र/छात्रा द्वारा यू.जी.सी. (छात्र शिकायत निवारण) रेगुलेशन 2023 के द्वारा परिभाषित शिकायत के अधीन की गयी हो।

(च) 'ओम्बुड्मैन' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त ओम्बुड्मैन से होगा।

(छ) ' निदर्शिका से तात्पर्य मुद्रित या अन्य ऐसे प्रकाशन से होगा जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बन्धित स्पष्ट और पारदर्शी सूचना दी गयी हो (जिसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश भी सम्बन्धित होगा)

(ज) छात्र का तात्पर्य विश्वविद्यालय में पंजीकृत छात्र अथवा प्रवेश के इच्छुक छात्र से होगा जिन पर यह रेगुलेशन लागू होगा।

(झ) 'छात्र शिकायत निवारण' प्रकोष्ठ से तात्पर्य ऐसे समिति से होगा जो इस निमित्त यू.जी.सी. रेगुलेशन के अधीन गठित की गयी हो।

समिति के गठन एवं कार्य पद्धति

1. पीड़ित छात्र द्वारा शिकायत छात्र शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष को सम्बोधित होगी।
2. समिति का गठन इस प्रकार होगा –

21.6.25 21/6/25 21/6 21.6.2025

(क) एक आचार्य – अध्यक्ष

(ख) चार आचार्य अथवा वरिष्ठ संकाय सदस्य – सदस्य

(ग) प्रतिभावान छात्र/खिलाड़ी/सह–पाठ्यक्रम गतिविधि में सक्रिय एक छात्र विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

1. इसमें न्यूनतम एक सदस्य/अध्यक्ष महिला तथा एक सदस्य/अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।
2. अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
3. विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
4. बैठक का कोरम अध्यक्ष सहित तीन का होगा। (विशेष आमंत्रित को छोड़कर)
5. समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करेगी।
6. समिति अपना संस्तुतिओं सहित (यदि कोई हो तो) प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करेगी तथा इसकी एक प्रति सम्बन्धित छात्र को भी भेजी जायेगी।
7. समय–समय पर जारी यू.जी.सी. के निर्देश तथा विश्वविद्यालय के शैक्षिक नियमवाली के अनुरूप इस नियमावली में संशोधन किया जा सकता है।
8. एण्टी रैगिंग, यौन उत्पीड़न प्रतिवेदन अनुशासन सम्बन्धी तथा अन्य ऐसे मामले जहाँ विशिष्ट समितियां गठित है, उन्हीं समितियों द्वारा विचारित किये जायेंगे।
9. छात्र शिकायत निवारण समिति के निर्णय से असंतुष्ट छात्र निर्णय प्राप्ति के 15 दिन के भीतर विश्वविद्यालय के ओम्बुड्मैन को अपील कर सकेगा।

ओम्बुड्मैन के कार्य –

(1) पीड़ित छात्र इस रेगुलेशन में निर्धारित उपायों को अपनाने के बाद ही ओम्बुड्मैन के अधीन अपना प्रत्यावेदन कर सकेगा।

(2) परीक्षा के संचालन अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से सम्बन्धित कदाचार के विषय ओम्बुड्मैन को संदर्भित किये जा सकते है।

(3) उत्तर पुस्तिका पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्योग के विषय में ओम्बुड्मैन तब तक विचार नही करेगा जब तक कि परिणाम को प्रभावित करने योग्य स्पष्ट अनियमितत्ता तथा विभेद का स्पष्ट उदाहरण शिकायतकर्ता छात्र के द्वारा न दिया गया हो।

(4) ओम्बुड्मैन 30 दिनों के भीतर इसका समाधान कर सकेगा।

(5) ओम्बुड्मैन किसी शिकायत के झूठा पाये जाने पर शिकायतकर्ता के विरूद्ध संस्तुति कर सकता है।

21.6.25 21/6/25 21/6